22

कौशल विकास

कौशल विकास केंद्र सरकार की पहल है जो स्किल इंडिया के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं के कौशल को विकसित करना है ताकि वे औद्योगिक संगठनों में रोजगार के लिए तैयार हो सकें। सरकार ने 15 जुलाई 2015 को 19 केंद्रों में स्किल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इन केंद्रों में अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बद्दी, चेन्नई, दमन, देहरादून, गंगटोक, हैदराबाद, इटानगर, जयपुर, लक्षद्वीप, मुंबई, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुदुचेरी, सिल्वासा, शिलांग, उधमपुर शामिल हैं।

स्किल इंडिया उद्योग में आवश्यक कौशलों का विकास करने के लिए एक निर्देशित पहल है। केंद्र सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी बनाया है।

अधिगम के प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के बाद, शिक्षार्थी:

- कौशल विकास की अवधारणा को समझता है;
- भारत में कौशल के उद्देश्य और सुविधाओं की पहचान करता है;
- कौशल विकास की आवश्यकता और महत्व को समझता है;
- सरकार की पहल और एनएसडीसी और अन्य निकायों की भूमिका को जानता है।

22.1 कौशल विकास की अवधारणा

भारत कौशल या राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन 15 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य विभिन्न उद्योग से सम्बन्धित कौशल में भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करना है। इसके महत्व के कारण प्रत्येक वर्ष के 13 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस नीति द्वारा

कौशल विकास की राष्ट्रीय नीति 2009 को बदल दिया गया है।

स्किल इंडिया के तहत 2022 तक विभिन्न योजनाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सहायता से एक सशक्त कार्यबल तैयार करना है। इसमें सरकार की विभिन्न पहलें शामिल है जैसे-

- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन
- कौशल विकास और उद्यमिता 2015 के लिए राष्ट्रीय नीति
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
- कौशल ऋण योजना
- ग्रामीण भारत कौशल

कौशल विकास भारत को एक कौशलपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए केन्द्र सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य युवाओं का कौशल विकसित करना है जो औद्योगिक संगठनों में नियोजित हो सकते हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने कौशल विकास की प्रक्रिया है-

- एक कौशल के अंतराल की पहचान करना एवं
- किसी को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मौजूद कौशल को विकसित करना।

22.2 कौशलपूर्ण भारत के उद्देश्य और विशेषताएं

कौशलपूर्ण भारत ने निम्नलिखित उद्देश्यों को परिभाषित किया है। जिसके लिए वह प्रयासरत हैं:

- भारतीय युवाओं के हुनर के विकास के लिए अवसर और संभावनाओं का निर्माण करना।
- इन क्षेत्रों को और अधिक विकसित करना जिन्हें पहले से ही वर्षों से कौशल विकास के तहत रखा गया है।
- कौशल विकास के लिए नये-नये क्षेत्रों की पहचान करना।
- नए कार्यक्रम का लक्ष्य 2020 तक हमारे देश के 500 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है।

  ये उद्देश्य विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और औद्योगिक पार्कों सहित सूक्ष्म उद्योगों लघु, मध्यम और बड़े पैमाने पर उद्योगों के लिए कुशल जनशक्ति की पर्याप्त उपलब्धता के लिए सरकार के प्रयास के अनुरूप है। सरकार का उद्देश्य विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं में प्रभावी प्रशिक्षण और प्लेसमेंट तंत्र के साथ अभिसरण लाना है।

  यह कौशलपूर्ण भारत केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई पिछली पहल की तुलना में अद्वितीय है। ये विशेषताएं जो इसे अद्वितीय बनाती हैं।

- युवाओं को इस प्रकार के कौशल सीखने पर जोर दिया जाता है जिससे उन्हें रोजगार मिले और उद्यमिता में भी सुधार हो।
- सभी व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, विशेषकर जो पारंपरिक व्यवसाय है- जैसे बढ़ई, मोची, वेल्डर, लुहार, राज मिस्त्री, नर्स, दर्जी, बुनकर आदि।
- रियल एस्टेट, निर्माण, ट्रांस्पोर्टेशन, कपड़ा, रत्न उद्योग, आभूषण डिजाइनिंग, बैंकिंग, पर्यटन और विभिन्न अन्य क्षेत्रों जैसे नए क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया जा रहा है, जहां कौशल विकास अपर्याप्त या शून्य के बराबर है।
- ये प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं ताकि हमारे देश के युवा न केवल देश में ही घरेलू मांगों को पूरा कर सकें बल्कि अन्य देशों जैसे अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी, रूस और पश्चिम एशिया के देशों में भी अपनी सेवा दे सकें।
- कौशलपूर्ण भारत कार्यक्रम की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह होगी कि 'ग्रामीण भारत कौशल' नामक एक हालमार्क बनाया जाए, जिससे प्रशिक्षण प्रक्रिया को मानवीकृत और प्रमाणित किया जा सके।
- विशिष्ट आयु समूहों के लिए विशेष जरूरत आधारित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जो भाषा और संचार कौशल, जीवन और सकारात्मक सोच कौशल, व्यक्तित्व विकास कौशल, प्रबंधन कौशल, व्यवहार कौशल, जैसे नौकरी और रोजगार कौशल जैसे हो सकते हैं।
- 'कौशलपूर्ण भारत' की पाठ्यक्रम पद्धति भी नवाचार से युक्त है, जिसमें खेल, समूहचर्चा, विचार मंथन सत्र, व्यावहारिक अनुभव, कैसे स्टडीज आदि शामिल हैं।

22.3 कौशल विकास की आवश्यकता एवं महत्व

1. एक विशाल युवा जनसंख्या

भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है जहां दुनिया की आबादी का लगभग पांचवां हिस्सा रहता है। विश्व जनसंख्या 2019 के संभावित संशोधन के अनुसार जनसंख्या 135 करोड़ थी। भारत में 25 वर्ष से कम आयु के 50 प्रतिशत से अधिक और 33 वर्ष से कम आयु के 65 प्रतिशत से अधिक लोग हैं। यह अपेक्षित है कि 2020 में, एक भारतीय की औसत आयु 29 वर्ष होगी, जबकि चीन के लिए 37 और जापान के लिए 48 होगी। इतनी बड़ी युवा आबादी का मानना है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के तरीकों पर काम करना चाहिए कि वे भारत के विश्व महाशक्ति और विकसित देश बनने के सपने को साकार करने में मदद करे। कौशल भारत इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

2. **औद्योगिक एवं कृषि विकास के लिए समर्थन**

कौशल के माध्यम से मानव संसाधन विकास में निवेश एक पर्याप्त रूप से कुशल आबादी प्रदान करता है जो भारत के औद्योगिक और कृषि विकास को सीधे और अनुकूल रूप से प्रभावित करता है।

3. **उद्यमशीलता और लघु तथा मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना**

उद्यमशीलता एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत के विकास की कुंजी है। इसलिए कौशल पूर्ण उद्यमियों का समर्थन करने के लिए कौशल भारत मील का पत्थर है जो भविष्य में अपने आपमें रोजगार निर्माता हो सकता है।

4. **उस अंतराल को भरना जो शिक्षा क्षेत्र से पूर्ण नहीं हो पा रहा है**

भारतीय शिक्षा प्रणाली कुछ पहलुओं को उद्योग में रोजगार के लिए छात्रों को तैयार करने में पिछड़ी है। इसलिए अकुशल एवं शिक्षित जनशक्ति के बीच की खाई को पाटने और सभी प्रकार के उद्योगों के लिए उद्योग को तैयार कर जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए कौशल भारत की आवश्यकता है।

22.4 कौशल विकास की पहल

22.4.1 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना- पीएमकेवीवाई

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की एक अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य लगभग 24 लाख भारतीय युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल आधारित और वैश्विक बाजार के लिए तैयार होना है। इस योजना के तहत प्रशिक्षुओं को वित्तिय सहायता और प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन के सफल सत्यापन पर एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा जो उन्हें बेहतर भविष्य के लिए नौकरी प्राप्त करने में सहायक होगा। यह योजना मुख्य रूप से युवाओं को आद्यौगिक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने पर केन्द्रित है। स्कूल और कालेज पर कम जोर देते हुए, सरकार ने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इच्छुक उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए कुछ बुनियादी चरणों से गुजरना पड़ता है। उम्मीदवारों को सबसे पहले एक प्रशिक्षण केन्द्र खोजने, दाखिला लेने, अपेक्षित कौशल को सीखने के लिए मूल्यांकन और प्रमाणन कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए और अंत में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। यह योजना पूरे देश के कौशल संस्थानों में सफल रही है। पीएमकेवीवाई 2.0 योजना का जो उद्देश्य वह 2020 में ही पूरा हो गया। अब यह योजना 3.0 के प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़ रही है।

22.4.2 राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर

पर देश भर में कौशल विकास के प्रयासों को लागू करने, उसे बढ़ाने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा प्रदान करने और न्यूनतम तीन सौ मीलियन युवाओं को 2022 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। मिशन 2.0 के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सहित केन्द्रीय मंत्रालय के विभाग कौशल विकास के अंतर्गत 40 से अधिक योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल हैं। मिशन के तहत कौशल गतिविधियों का कार्यान्वयन उनके सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के बजट प्रावधानों के अनुसार होगा। देश में कौशल विकास के लिए 995.10 करोड़ के प्रारंभिक कॉर्पस के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास कोष की स्थापना की गई है।

22.4.3 कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015

नीति का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए है, जो उसे आजीवन सीखने की एक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम बनाता है जहां दक्षताओं को विश्वसनीय रूप देने के लिए प्रमाण पत्र, क्रेडिट संचय और हस्तांतरण जैसे उपकरणों के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है। ऐसे लोगों से ही समाज एवं राष्ट्र का निर्माण होता है और देश को उनके कौशल से लाभ प्राप्त होता है। राष्ट्रीय नीति द्वारा:

1. युवाओं एवं नियोक्ताओं दोनों के लिए गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण को उपयोगी बनाया जाएगा।
2. औपचारिक शिक्षा के साथ कौशल प्रशिक्षण को सहज एकीकरण प्रदान करके आगे के विकास के लिए कुशल कार्यबल दोनों अर्ध्वाकार और क्षैतिज मार्ग को सुनिश्चित किया जाएगा।
3. गुणवत्तापूर्ण कौशल के लिए एक परिणाम आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केन्द्रित करना है जो एक तरफ व्यक्तियों के लिए रोजगार और बेहतर आजीविका में वृद्धि करता है वहीं दूसरी ओर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में बेहतर उत्पादकता को हस्तांतरित करता है।
4. प्रत्येक नागरिक को न्यायसंगत और आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण एवं संरचना और प्रशिक्षकों की गुणवत्ता पूर्ण क्षमता को बढ़ाया जाएगा।
5. उद्योग की क्षेत्रीय आवश्यकताओं के साथ कुशल श्रमिकों की आपूर्ति और देश की रणनीतिक प्राथमिकताओं जैसे प्रमुख कार्यक्रमों को भारत में बनाने के लिए मानव संसाधन की जरूरतों को पूरा करना।
6. कुशल कार्यबल की मांग और आपूर्ति को एकत्रित करने के लिए आईटी और सूचना आधारित प्रणाली की स्थापना जो आपूर्ति और मांग के साथ आपूर्ति को जोड़ने में मदद कर सकती है।
7. व्यावसायिक मानकों को स्थापित करने में नियोक्ताओं को सक्रिय भागीदारी के माध्यम

से स्केलिंग स्पेस में राष्ट्रीय मानकों को बढ़ावा देना।

8. यह सुनिश्चित करना कि सामाजिक और भौगोलिक रूप से वंचित और हाशिए वाले समूहों (जैसे- एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, विशेष आवश्यकता समूह आदि) की कौशल आवश्यकताओं का उचित रूप से ध्यान रखा जाए।

9. प्रशिक्षण के उचित कौशल और लिंग में मुख्य धारा के माध्यम से कार्य बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।

22.4.4 कौशल ऋण योजना

एक कौशल ऋण की भी पहल की गई है जिसमें 5,000 से लेकर 1.5 लाख तक के ऋण उपलब्ध होंगे, जो अगले पांच वर्षों में कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में आने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए यह पहल की गई है।

22.4.5 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन : आजीविका कौशल

आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा शुरू की गई एक पहल है। आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) एनआरएलएम के तहत संचालित होती है। इसका उद्देश्य युवाओं की पेशेवर आकांक्षाओं और हितों को समझना और उनकी दैनिक आय में वृद्धि करना है। यह मिशन गरीब समुदायों के युवाओं को अपने कौशल को उन्नत करने और देश के कुशल कर्मचारियों में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं में शामिल है- पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट, प्रशिक्षण और सुनिश्चित प्लेसमेंट के दौरान भोजन और परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना।

एन.आर.एल.एम. समर्पित और संवेदनशील समर्थन संरचनाओं के माध्यम से उचित मंच प्रदान कर गरीबों के उद्यमी कौशल को सहयोग करके बदलाव लाने के लिए कटिबद्ध है। एनआरएलएम की मांग चालित रणनीति है और वह यह भी कहता है कि राज्यों को इस योजना को लागू करने का अपना अधिकार है। इस योजना के माध्यम से, निजी क्षेत्र को स्व-रोजगार सृजन प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

22.4.6 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना- डीडीयू-जीकेवाई

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण युवाओं के लिए एक कौशल विकास का कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत 66 विशेष प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। 15 राज्यों में न्यूनतम 5 स्वीकृत परियोजनाएं हैं और कई पाइपलाइन में हैं।

डीडीयू- जीकेवाई पूरे देश में विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता देता है, जिसमें 250 से अधिक ट्रेड शामिल हैं, जैसे कि खुदरा, हॉस्पीटैलिटी, स्वास्थ्य, निर्माण, मोटर वाहन, चमड़ा, विद्युत, पलंबर, रत्न और आभूषण आदि। डीडीयू-जीकेवाई

पूरे भारत में अपनाया जा रहा है क्योंकि इस योजना को लगभग सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है।

22.4.7 दीनदयाल योजना-राष्ट्रीय नगरीय आजीविका मिशन-डीएवाईएनएलएम

डीएवाई-एनयूएलएम मिशन का मुख्य उद्देश्य शहरी, गरीब परिवारों की गरीबी को रोकने के लिए उन्हें संगठित तरीके से अपने कौशल से संबंधित रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के एक भाग के रूप में, शहरी, बेघरों, शहरी सड़क विक्रेताओं आदि का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है, इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य लोगों को कौशल के माध्यम से एक स्थायी आजीविका कमाने में मददगार हैं।

एक और उद्देश्य शहरी गरीबों की आय में वृद्धि करके उन्हें ऐसे पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करना है जो वेतनभोगी रोजगार और या स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं जो अंततः बेहतर जीवन स्तर का नेतृत्व करेंगे। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार उन खतरों को भी मिटाने की उम्मीद करती है, जो एक नियमित श्रमिक काम के असंगठित क्षेत्रों में करता है। यह विश्वास कि गरीबों में भी उद्यमशीलता का क्षमता है और गरीबी से बाहर आने की इच्छा है, इस मिशन को सफल बनाता है।

22.4.8 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-एनआरईजीए

नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को मजदूरी रोजगार प्रदान करने के अधिकार की गारंटी देता है। लोगों को हर घर में कम से कम 100 दिनों के रोजगार का बीमा कराया जाता है जो अकुशल हैं और काम करने को तैयार हैं। नरेगा के तहत रोजगार का एक कानूनी प्रक्रिया भी है जो रोजगार योजनाओं को सीधे ग्राम पंचायत द्वारा लागू किया जाता है। आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और ग्रामीण संपत्ति को बनाए रखने के अलावा नरेगा का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, ग्रामीण, शहरी प्रवास को कम करना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना भी है।

22.4.9 महानिदेशक प्रशिक्षण- माड्यूलर रोजगार कौशल

भारत सरकार और श्रम मंत्रालय ने मिलकर कौशल विकास पहल (एसडीआई) के तहत 'माड्यूलर रोजगार योग्य कौशल' (एमईएस) को जारी किया है। इस योजना के अंतर्गत, स्कूल छोड़ने वाले और मौजूदा श्रमिकों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में रोजगार योग्य कौशल के लिए प्रशिक्षित किया जाना है। यह योजना 2007 से परिचालन में है और आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ने वालों के पास विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता कार्यक्रमों के माध्यम से उनके रोजगार कौशल में विकास कम हुआ है।

इस योजना का मूल उद्देश्य स्कूल छोड़ने वालों, आईटीआई, स्नातकों, ग्रामीण और बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता में सुधार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। 14 वर्ष से अधिक आयु वालों को भी इसमें प्राथमिकता दी गई है, जिन्हें बाल श्रम के रूप में पीड़ित लोगों को रोजगार प्राप्त करने के लिए रोजगार योग्य कौशल सीखने में सक्षम बनाना है।

पाठगत प्रश्न 22.1

1. निम्नलिखित में से कौन-सा एक कारण नहीं है कि कौशलपूर्ण भारत की पहल करने के लिए एक मजबूत आवश्यकता महसूस की गई थी-

   (अ) भारत में उम्र बढ़ने की आबादी

   (ब) औद्योगिक और कृषि विकास के लिए समर्थन,

   (स) उद्यमशीलता और छोटे तथा मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना

   (द) शिक्षा क्षेत्र को पूरा करने में सक्षम नहीं होने की खाई को पाटना

2. निम्नलिखित में से कौन-सी एक विशेषता नहीं है जो कौशल भारत की पहल को अद्वितीय बनाते हैं-

   (अ) युवाओं को इस तरह के कौशल देने पर जोर दिया जाता है ताकि उन्हें रोजगार मिले और उद्यमिता में भी सुधार हो।

   (ब) वहां सभी व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना जहां पारंपरिक प्रकार के व्यवसाय है- जैसे बढ़ई, मोची, वेल्डर, लुहार, राज मिस्त्री, नर्स, दर्जी, बुनकर आदि हों।

   (स) नए क्षेत्रों पर कोई जोर नहीं दिया गया है, (जैसे रियल स्टेट निर्माण, वास्पोत्सर्जन कपड़ा, रत्न उद्योग, आभूषण डिजाइनिंग आदि) जहां कौशल विकास अपर्याप्त है या शून्य है।

   (द) प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तर्ज पर शुरू किया गया है।

3. 15 जुलाई, 2015 को कौशल भारत के दृष्टिकोण के रूप में शुरू की गई चार पहल क्या है?

   (अ) कौशल विकास एवं उद्यमिता 2015 के लिए राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) एवं उद्यमिता कौशल ऋण योजना

   (ब) कौशल विकास एवं उद्यमिता 2015 के लिए राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) एवं कौशल ऋण योजना।

(स) कौशल विकास एवं उद्यमिता 2015 के लिए राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) एवं उद्यमिता कौशल ऋण योजना।

(द) कौशल विकास एवं उद्यमिता 2015 के लिए राज्य स्तरीय नीति, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) एवं उद्यमिता कौशल ऋण योजना।

4. 15 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय नीति का अनावरण दिया इसे किस योजना की जगह पर जारी किया गया है-

(अ) कौशल विकास 2009 की राष्ट्रीय नीति

(ब) कौशल विकास 2004 की अंतर्राष्ट्रीय नीति

(स) कौशल विकास 2004 की राष्ट्रीय नीति

(द) कौशल विकास 2000 की राष्ट्रीय नीति

5. कौशल पूर्ण भारत कैम्पेन को जारी किया गया-

(अ) 13 जुलाई, 2015

(ब) 14 जुलाई, 2015

(स) 15 जुलाई, 2015

(द) 16 जुलाई, 2015

22.5 एनएसडीसी और अन्य निकायों की भूमिका

22.5.1 राष्ट्रीय कौशल विकास कार्पोरेशन

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भारत (एनएसडीसी) की स्थापना सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) कंपनी के रूप में की गई थी, जो भारत में कौशल परिदृश्य को विकसित करने और सक्षम बनाने के प्राथमिक जनादेश के साथ थी। एनएसडीसी का अंतर्निहित दर्शन निम्न स्तंभों पर आधारित है-

1. **निर्माण :** बड़े गुणवत्ता वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के सृजन को उत्प्रेरित करना
2. **वित्त :** अनुदान और इक्विटी सहित लंबी अवधि की पूंजी प्रदान करके जोखिम को कम करना।
3. **सक्षम :** कौशल विकास के लिए आवश्यक समर्थन प्रणालियों का निर्माण और स्थिरता इसमें उद्योग आधारित क्षेत्र, कौशल परिषदें शामिल हैं।

एनएसडीसी के मुख्य उद्देश्य हैं-

- महत्वपूर्ण उद्योग भागीदारी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानकों में कौशल का उन्नयन और मानकों, पाठ्यक्रम और गुणवत्ता आश्वासन के लिए आवश्यक रूपरेखा को विकसित करना।
- उपर्युक्त पीपीपी मॉडल के माध्यम से कौशल विकास के लिए निजी क्षेत्र की पहल का समर्थन, समन्वय और निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण परिचालन और वित्तिय भागीदारी के लिए प्रयास करना।
- वित्त प्रदान कर एक 'बाजार-निर्माता' की भूमिका निभाना, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बाजार तंत्र अप्रभावी या गायब है।
- उन पहलों को प्राथमिकता देना जो एक गुणा प्रभाव के विपरीत अनगिनत उत्प्रेरक प्रभाव डाल सकते हैं।

भागीदारी : एनएसडीसी स्किलिंग इको व्यवस्था को उत्प्रेरित करने और बढ़ाने में कई हित धारकों के साथ भागीदारी के माध्यमों से संचालित होता है-

- **निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी :** साझेदारी के क्षेत्र में जागरूकता निर्माण, क्षमता का निर्माण, ऋण वित्त पोषण, निर्माण और क्षेत्र कौशल परिषद के संचालन मूल्यांकन के लिए प्रमाणन, रोजगार सृजन, कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, विश्व कौशल प्रतियोगिता और विशेष पहल जैसे कि जम्मू एवं कश्मीर पर केन्द्रित भागीदारी शामिल हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध :** निवेश, तकनीकी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय मानक, विदेशी नौकरियां और अन्य क्षेत्र।
- **केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ भागीदारी :** 'मेक इन इंडिया' स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री धन-जन योजना, स्मार्ट सिटी, डिजीटल इंडिया, नमामि गंगे आदि केन्द्रीय विभागों के कार्यक्रमों में भागीदारी।
- **राज्य सरकारों के साथ भागीदारी :** विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का विकास एनएसक्यूएफ का संरक्षण और क्षमता निर्माण, कार्यक्रमों का संचालन, क्षमता निर्माण के प्रयास तथा अन्य दूसरे कार्यक्रम के साथ सम्बद्धता।
- **स्कूलों और विश्वविद्यालयों के साथ भागीदारी :** विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों क्रेडिट फ्रेमवर्क के मूल्यांकन, उद्यमी विकास आदि के माध्यम से शिक्षा का व्यावसायीकरण करना।
- **गैर-लाभकारी संगठनों के साथ साझेदारी :** सीमांत और विशेष समूहों की क्षमता निर्माण, आजीविका का विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता कार्यक्रम की योजना।
- **नवाचार में भागीदारी :** नवीन, प्रारंभिक व्यावसायिक मॉडल पर कार्य करने वाले आंभिक चरण के सामाजिक उद्यमियों को कुशल परिस्थितिक तंत्र में अंतराल को कम करना जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए भी कार्यक्रम बनाए गए हैं।

एनसीडीसी की स्थापना से उसे कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं वे हैं-

- 52 लाख से ज्यादा छात्रों को प्रशिक्षित करना
- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए 235 निजी क्षेत्र की साझेदारी (प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि में कम से कम 50 हजार व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना)
- 38 क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) सेवाओं, विनिर्माण, कृषि और संबद्ध सेवाओं और अनौपचारिक क्षेत्रों में अनुमोदित। अन्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा पहचाने गए 19 से 20 उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र और मेक इन इंडिया पहल के तहत् 25 क्षेत्र शामिल हैं (नीचे दी गई तालिका 22.1 को देखें)
- 1386 योग्यता पैक 6,744 अद्वितीय राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) के साथ है जो 1000 से अधिक कंपनियों द्वारा मान्य किए गए हैं।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण 10 राज्यों में शुरू किया गया है, जिसमें 24004 स्कूल, 2 बोर्ड शामिल हैं जिसके द्वारा 2.5 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। एनओएस और एस. एस.सी. के स्तर पर आधारित पाठ्यक्रम है। एन.एस.डी.सी. शिक्षा और प्रशिक्षण को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) से जोड़ने के लिए यूजीसी/एआईसीटीई के अंतर्गत 21 विश्वविद्यालयों सामुदायिक कालेजों के साथ व्यावसायिक शिक्षा पर कार्यरत हैं।
- सबसे बड़े बाउचर-आधारित कौशल विकास कार्यक्रम, पीएमकेवीवाई के लिए नामित कार्यान्वयन एजेंसी।
- इसके अंतर्गत 1400 प्रशिक्षण भागीदार, 28,179 प्रशिक्षण केन्द्र, 16,479 प्रशिक्षक, 20 जॉब पार्टल्स, 77 मूल्यांकन एजैंसियां और 4,983 असंबद्ध मूल्यांकनकर्ताओं के साथ कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली कार्यरत है। (एसडीएसएस)

22.5.2 राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी

राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) और स्वायत्त निकाय, (सामाजिक पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत) देश में कौशल विकास गतिविधियों के समन्वय और सामंजस्य बनाने के लिए जनादेश के साथ बनाया गया था, कौशल विकास मंत्रालय का हिस्सा है।

एनएसडीए की प्रक्रिया

- 12वीं पंचवर्षीय योजना और इससे आगे की परिकल्पना के अनुसार स्केलिंग लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी संभव कदम उठाना।
- विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, एनएसडीसी और निजी क्षेत्र के बीच कौशल विकास के दृष्टिकोण में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि गुणवत्ता और मानक क्षेत्र का विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, एनएसक्यूएफ द्वारा संचालन करना।
- राज्य कौशल विकास मिशन के लिए नोडल एजैंसी के रूप में कार्य करना।
- बहुपक्षीय एजेंसियों और निजी क्षेत्र सहित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे विभिन्न स्रोतों से कौशल विकास के लिए अतिरिक्त बाजारीय संसाधन जुटाना।
- उनकी प्रभावात्मकता का आकलन करते हुए मौजूदा कौशल विकास योजनाओं का मूल्यांकन करना और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही का सुझाव देना।
- एक गतिशील श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) के विकास सहित कौशल विकास से सम्बन्धित एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना।
- सकारात्मक कार्यवाही के लिए वकालत करना।
- यह सुनिश्चित करना कि वंचित और हाशिये पर रखने वाले समूहों जैसे कि एससीएसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और भिन्न-भिन्न विकलांग व्यक्तियों की देखभाल करना उनको सहयोग करना।
- भारत सरकार द्वारा इसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य का निर्वहन करना।

एनएसडीए द्वारा की जाने वाली गतिविधियां

कार्यान्वयन के अतिरिक्त राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) एनएसडीए द्वारा उठाए गए कुछ अन्य कार्य निम्नानुसार है

1. **भारत सरकार की कौशल विकास योजनाओं का युक्तिकरण :** एनएसडीए ने कौशल विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं में मानदंडों के अभिसरण को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों के साथ कार्य किया है, जबकि एक ही समय में उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की जरूरतों को मान्यता देते हुए जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी कौशल विकास में सहयोग किया है।
2. **एक एकीकृत श्रम बाजार सूचना प्रणाली का निर्माण (एनएमआइएस) :** कौशल विकास के सभी प्रमुख पहलुओं पर एक राष्ट्रीय डेटाबेस भारत की सरकार और राज्य सरकारों के अन्य सभी मंत्रालयों के साथ साझेदारी में बनाया जा रहा है। यह एक दुकान स्टॉप के रूप में होगा जहां नागरिकों के लिए सभी प्रासांगिक जानकारी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। एमएमआईएस परिचालन क्षमता में लाया जाएगा, यह सभी के लिए पारदर्शी रूप में उपलब्ध होगा और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाले एक व्यक्ति की स्थिति को काफी कम करने में सहायक होगा।
3. **राज्यों के साथ सम्बन्ध :** एनएसडीए अब सक्रिय रूप से विभिन्न राज्य सरकारों के

साथ अपने कौशल विकास कार्य योजना की रूपरेखा बनाने, उनकी कौशल विकास नीतियों को विकसित करने में मदद करने और उपयुक्त प्रशासनिक तंत्र को स्थापित करने में संलग्न है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी), यूरोपीय संघ (इयू) और डीएफआईडी (यूके सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास के विभाग) के साथ तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से और एनएसडीए 11 राज्यों के साथ कौशल विकास मिशनों को उनकी क्षमता बनाने में सहायता कर रहा है।

4. **कौशल नवाचार के लिए पहल :** एनएसडीए के तहत कौशल नवाचार पहल के अंतर्गत एक समिति गठित की गई है। एनएसडीए कौशल विकास से सम्बन्धित नवीन विचारों, अवधारणाओं और प्रथाओं को आमंत्रित करता है। समिति अपने आवेदन को व्यापक स्तर पर सुविधाजनक बनाने के लिए नवाचारों के सभी प्रस्तावों की समीक्षा करती है।

22.5.3 क्षेत्रीय कौशल परिषद

इन एसडीसी की प्रमुख स्तंभों में से एक क्षेत्रीय कौशल समिति (एसएससी) है, जो उद्योग की मांग और स्केलिंग की आवश्यकताओं के बीच अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज की तारीख में एनएसडीसी के अंतर्गत 38 क्षेत्रीय कौशल समितियां कार्यरत है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक एनएसडीसी के भारत के कुशल परिस्थितिक तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जो एसएससी द्वारा संभव बनाया गया है, जो कि राष्ट्रीय भागीदारी संगठन है जो सभी हितधारकों औद्योगिक श्रमिकों और शिक्षाविदों को एक मंच पर लाने में सक्षम है। प्रत्येक एसएसी एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्यरत है, इसे एक कंपनी या समाज में धारा 8 के तहत पंजीकृत किया जा सकता है।

एनएसडीसी को आरंभिक सुविधाओं के साथ एसएसी को शुरू किया जाता है और उन्हें इस स्तर तक लाया जाता है ताकि उनकी वृद्धि को आसान किया जाता है और उन्हें इस स्तर तक लाया जाता है ताकि उनकी वृद्धि को आसान बनाया जा सके और उन्हें समयद्ध तरीके से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
प्राथमिकता क्षेत्र	आटो रिटेल आईटी/ आईटी	मीडिया एवं इंटरटेनमेंट आभूषण चमड़ी बिजली बीएफ एसआई	लॉजिस्टिक निर्माण खाद्य प्रसंस्करण	जीव विज्ञान आतिथ्य कपड़ा एवं हथकरघा परिधान हस्तशिल्प पावर लोह एवं इस्पात	हाइड्रोकार्बन रसायन एवं पेट्रोकेमिकलस फर्नीचर एवं फर्निशिंग	प्रबंधन रणनीतिक निर्माण
बड़े स्तर पर कार्य बल		रबर	टेलीकॉम पूंजी उत्पाद	एयरोस्पेस विमानन	खेल पेंट एवं कोटिंग अर्थभूविंग भवन निर्माण	यांत्रिकी
अनौपचारिक क्षेत्र			प्लानिंग	सौंदर्य एवं कल्याण		घरेलू नौकर

टेबल 22.1- क्षेत्रीय कोशल परिषद एवं उनके वर्ष

प्रत्येक एसएससी की भूमिका

एसएससी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया की जाती है-

- कौशल विकास की जरूरतों की पहचान करना जिसमें कौशल का एक आधार तैयार करना, उसमें कौशल की सीमा और गहराई का परिचय देना तथा लोगों के उसको सुनने की सुविधा प्रदान करना।
- एक क्षेत्रीय कौशल विकास योजना का विकास और कौशल सूची को बनाए रखना।
- कौशल/योग्यता मानकों के आधार पर योग्यता का निर्धारण करना और उन्हें राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अनुसार अधिसूचित करना।
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति द्वारा निर्धारित एनएसक्यूएफ के अनुसार संबद्धता, मान्यता, परीक्षा और प्रमाणन प्रक्रिया का मानकीकरण।
- योग्यता पैक/राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (क्यूपी/एनओएस) के लिए कौशल आधारित मूल्यांकन और प्रमाणन का भी प्रशिक्षण सरेखित करना।
- अपने सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए संबद्धता, मान्यता, परीक्षा और प्रमाणन मानदंडों की स्थापना में सहभागिता देना।
- एनएसडीसी और राज्यों के साथ प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के निष्पादन की योजना और सुविधा प्रदान करना।

- उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रचार करना।
- एससी, एसटी एवं शारीरिक रूप से विकलांग अल्पसंख्यकों पर विशेष रूप से ध्यान देना।
- यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षित और कुशल व्यक्ति को अच्छे वेतन और रोजगार प्राप्त हो सके।
- जॉब प्लेसमेंट की सुविधा प्रदान करना
- कौशल प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम, रोजगार, या स्व-रोजगार के लिए प्रेरित करना।

रोजगार एवं प्लेसमेंट को बढ़ावा देने के लिए एसएससी ने अपना स्वयं का प्लेसमेंट पोर्टल एवं मोबाइल ऐप पर सुविधा दी है जिससे लोग प्रोत्साहित हो सकें।

22.5.4 कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय- एमएसडीएफ

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, देश भर में व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण फ्रेमवर्क कौशल उन्नयन भवन के निर्माण के लिए देशभर में समग्र कौशल विकास के प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है जो न केवल मौजूदा नौकरियों के लिए बल्कि अपने क्षेत्रों में नई नौकरी के निर्मित करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है।

मंत्रालय द्वार कई अन्य मिशनों को समर्थन किया जा रहा है जो कि कौशल के विकास पर भी ध्यान केन्द्रित करते हैं-

- राष्ट्रीय कौशल विकास एजैंसी (एनएसडीए)
- राष्ट्रीय कौशल विकास कॉर्पोरेशन (एनएसडीसी)
- राष्ट्रीय कौशल विकास फंड (एनएसडीए)
- 38 क्षेत्रीय कौशल समिति (एसएससी) और इसी प्रकार
- 187 प्रशिक्षण एनएसडीसी के साथ सम्बद्ध हैं

22.5.3 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के मुख्य मंत्रालयों में से एक है जो सबसे पुराना है-

- इस मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी है-
- आमतौर पर श्रमिकों के हितों रक्षा के लिए और ग्रामीण और शहरी गरीब और समाज के वंचित वर्गों को प्रेरित करने के लिए प्रयासरत हैं।
- सरकार का ध्यान कल्याण को बढ़ावा देने पर भी है और श्रम बल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहे वह संगठित क्षेत्र हो या असंगठित।

- मंत्रालय प्रमुख रूप से महिलाओं और बाल कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करता है और विभिन्न पहलों को समर्थन देते हुए योजनाएं भी बनाता है।
- राष्ट्रीय करियर सेवा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एवं अन्य योजना भी है जो आसान तरीके से कौशल के साथ मैच होते रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत शिक्षा की, करियर की और नौकरी की सूचना एव अवसर देते हैं।

22.5.6 उद्योग में कौशल विकास की भूमिका

भारत में कौशल का विकास एक अनिवार्य अंग है और अकेले सरकार के लिए इस कार्य को पूरा करवाना असम्भव है। उद्योग धीरे-धीरे कॉर्पोरेट और पीएसयू से भागीदारी बढ़ा रहा है जो अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से कौशल विकास का समर्थन करके युवाओं में आगे आ रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। वे वित्त पोषण, बुनियादी ढांचा प्रदान करना, पूर्व शिक्षा की मान्यता, राष्ट्रीय योग्यता फ्रेमवर्क और व्यावसायिक मानकों को अपनाना आदि जैसे कई कार्यों में शामिल हो रहे हैं जैसे पावर ग्रिड, कोल इंडिया, एनटीपीसी, अंबुजा सीमेंट, एस्सार और कोका-कोला जैसे संगठन कुछ इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

पाठगत प्रश्न 22.2

1. उस कैम्पेन का नाम बताइए जो भारत में विश्व युवा कौशल दिवस पर शुरू किया गया-

   (अ) नमामि गंगे योजना

   (ब) कौशल पूर्ण भारत योजना

   (स) युवा कल्याण कोष

   (द) सब हाथ रोजगार योजना

2. एनएसडीसी के तहत कितने क्षेत्रीय कौशल परिषद हैं-

   (अ) 36

   (ब) 37

   (स) 38

   (द) 39

3. इनमें से कौन-सी प्रक्रिया एसएससी की नहीं है

   (अ) कौशल विकास की आवश्यकता को पहचानना

   (ब) एक क्षेत्र कौशल विकास योजना का विकास और कौशल सूची को बनाए रखना।

(स) कौशल/योग्यता मानकों और योग्यता का निर्धारण

(द) दूसरे क्षेत्रीय कौशल परिषद का विकास

क्र.सं.	संक्षिप्त रूप	विस्तृत रूप
1.	(ASDP) एएसडीपी	आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम
2.	(PMKVY) पीएमकेवीवाई	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
3.	(DAY-NUlM) डीएवाईएनयूएलएम	दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
4.	(DDU-GKY) डीडीयू-जीकेवाई	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना
5.	(MES) एमईएस	माड्यूलर रोजगार कौशल
6.	(NRLM) एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
7.	(NAREGA) नरेगा	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
8.	(NSDM) एनएसडीएम	राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन
9.	(NSDF) एनएसडीएफ	राष्ट्रीय कौशल विकास फंड
10.	(SEZ) एसईजेड	विशिष्ट आर्थिक जोन
11.	(SDI) एसडीआई	कौशल विकास पहल
12.	(NSDA) एनएसडीए	राष्ट्रीय कौशल विकास एजैंसी
13.	(MRD) एमआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
14.	(DGT-MES) डीजीटी.एमईएस	महानिदेश प्रशिक्षण-माड्यूलर रोजगार कौशल
15.	(ITI) आईटीआई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
16.	(NSDC) एनएसडीसी	राष्ट्रीय कौशल विकास कार्पोरेशन
17.	(PPP) पीपीपी	लोकहित सहभागिता
18.	(SSC) एसएससी	क्षेत्रीय कौशल परिषद
19.	(NOS) एनओएस	राष्ट्रीय व्यावसायिक स्तर
20.	(SDMS) एसडीएमएस	कौशल विकास प्रबंधन व्यवस्था
21.	(MSDE) एमएसडीई	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
22.	(LMIS) एलएमआईएस	मजदूर बाजार सूचना व्यवस्था
23.	(ADB) एडीबी	एशियन विकास बैंक
24.	(DFID) डीएफआईडी	अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग

25.	(EU) ईयू	यूरोपियन संघ
26.	(NSQF) एनएसक्यूएफ	राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति
27.	(QP/NOS) क्यूपीएनओएस	अर्हता पैक/राष्ट्रीय व्यावसायिक स्तर
28.	(MLE) एमएलई	मजदूर एवं रोजगार मंत्रालय
29.	(CSR) सीएसआर	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
30.	(NSQF) एनएसक्यूएफ	राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क

पाठांत प्रश्न

अति लघुउत्तरीय प्रश्न

1. निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें

   कौशल विकास की प्रक्रिया.....

2. केन्द्र और राजय सरकार द्वारा की गई किसी भी पहल की तुलना में कौशल भारत को विशिष्ट बनाने वाली कोई दो विशेषताएं बताएं।

3. भारत में बड़े पैमाने पर युवा आबादी को कौशल भारत की ओर धकेलने की ओर सरकार का क्या बड़ा कारण है?

4. क्या देश की हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली देश की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है? संक्षेप में चर्चा करें।

5. क्या महात्मा गांधी नरेगा योजना भारत में ग्रामीण विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है? ग्रामीण विकास में डीडीयू-जीकेवाई एवं डीएवाई-एनयूएलएम की क्या भूमिका अपेक्षित है?

6. एनएसडीसी निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से कौन-कौन सी है?

7. एसएससी को स्वायत्त निकायों के रूप में बनाए जाने का क्या महत्व है?

8. श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय करियर सेवा योजना के कार्यान्वयन पर संक्षिप्त चर्चा करें-

लघुउत्तरीय प्रश्न

1. संक्षिप्त टिप्पणी लिखें-

   (अ) राष्ट्रीय कौशल विकास कार्पोरेशन

   (ब) राष्ट्रीय कौशल विकास एजैंसी

2. निम्नलिखित कौशल विकास पहल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें-

   (अ) राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

   (ब) कौशल विकास एवं उद्यमिता 2015 की राष्ट्रीय नीति

   (स) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

   (द) कौशल ऋण योजना

   (य) ग्रामीण कौशल भारत

3. कौशल भारत के संक्षिप्त उद्देश्यों को बताएं।

4. एनआरएलएस के तहत संचालित आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम के तहत्व को संक्षिप्त में बताएं।

5. भारत कौशल विकास में दो महत्वपूर्ण मंत्रालयों के नमा बताइये प्रत्येक पर संक्षिप्त विवरण दें।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. केन्द्र सरकार के कौशल विकास पहल के उद्देयों को बताइये-युवाओं के कौशल विकास और उन्नयन के लिए कौन से उपाय शुरू किए गए हैं?

2. एनएमडीसी कौशल इको सिस्टम को बढ़ाने के लिए कई हित धारकों के साथ साझेदारी के माध्यम से कार्य करता है। इन सभी भागीदारों को सूचीबद्ध करें और उनमें से प्रत्येक की भूमिका के विषय में संक्षेप में लिखें

3. भारत के विकास में सरकार ने कौशल विकास को एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना है क्यों? इस पर प्रकाश डालें।

4. कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति खंड, भारत के सर्वांगीण विकास के सरकारी एजेंडे का समर्थन करने का प्रस्ताव कैसे करती है?

5. ग्रामीण विकास विशेष रूप से कौशल के माध्यम से एक प्रमुख सरकारी उद्देश्य है। कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो महत्वपूर्ण योजना चला रही है, उसे सूचीबद्ध करें।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

1. (अ) भारत में बूढ़ी आबादी

   व्याख्या : वास्तव में भारत में बड़ी युवा आबादी है (उम्र दराज नहीं) जिसे अपने स्वयं के योगदान के लिए तकनीकी कौशल की आवश्यकता है जिससे देश का आर्थिक कल्याण हो सके। अन्य कारण (ब), (स) एवं (द) में दिए गए हैं।

2. (स) नए क्षेत्रों पर जोर नहीं दिया गया है, (जैसे- रियल इस्टेट, निर्माण, ट्रांसपोरेशन कपड़ा रत्न उद्योग, आभूषण, डिजाइनिंग आदि) जहां कौशल विकास अपर्याप्त या शून्य है।

व्याख्या : वास्तव में कौशल भारत पहल में नए क्षेत्रों (जैसे अचल संपत्ति निर्माण योजनाएं, निर्माण, ट्रांसपोरेशन, कपड़ा आभूषण, डिजाइनिंग आदि) पर बहुत अधिक जोर देती है जो व्यवसाय परम्परागत हैं। अन्य सभी बिन्दुओं (अ) (ब) एवं (द) की विशेषताएं भी भारत कौशल की विशेष पहल के अंतर्गत आती है।

3. (ब) कौशल विकास एवं उद्यमिता, 2015 की राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसटीएम), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) एव कौशल ऋण योजना

व्याख्या : ये चार पहलुओं का उद्देश्य भारत को दुनिया के मानव संसाधन पंजी के एक केन्द्र के रूप में स्थापित करना है।

4. (अ) कौशल विकास 2015 के लिए राष्ट्रीय नीति-

व्याख्या : यह भारत में स्वतंत्रता के बाद उद्यमशीलता पर बनी पहली ऐसी नीति है। पहले विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में इस नीति का अनावरण किया गया था।

5. (स) 15 जुलाई, 2015

व्याख्या : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'कौशल भारत कैम्पेन' का विज्ञान भवन, नई दिल्ली में जारी किया गया। इस अवसर पर मेघालय कौशल विकास द्वारा इस विषय के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका विषय था- 'मेघालय के युवाओं केलिए कौशल का विकास करना क्यों आवश्यक है?' इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' को भी जारी किया गया।

22.2

1. (ब) भारत कौशल कैम्पेन

व्याख्या : इस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन' का शुभारंभ किया और कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया।

2. (स) 38

3. (द) अन्य क्षेत्रीय कौशल परिषद में सुधार

व्याख्या : एनएसडीसी को क्षेत्रीय कौशल परिषद को मंजूरी देने का कार्य सौंपा गया है। कोई एसएससी किसी अन्य एसएमसी को स्वीकृति या अस्वीकृत नहीं कर सकती। विकल्प अ, ब एवं स में भी एसएससी के कार्य बताए गए हैं।

टिप्पणी

रोल प्ले

रीना अपने गांव की मुखिया है जो अपने गांव के औरतों के समूह का नेतृत्व करती है और उनके द्वारा बनाए गए हाथों की बनी सामग्री को बेचने में मदद करती है। वह इस उद्यम को दूसरे क्षेत्रों तक फैलाना चाहती है। उसे आवश्यक कौशल प्रदान करने और अपने व्यवसाय के विस्तार में उसे संभालने के लिए सरकारी पहल था। योजनाओं के विषय में कोई जानकारी नहीं है।

अपने को एक सरकारी कर्मचारी की भूमिका में रखकर आप और रीना के बीच संवाद के विकास और आदान-प्रदान द्वारा उपरोक्त परिस्थिति पर नाट्कीय ढंग से रीना के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करें।

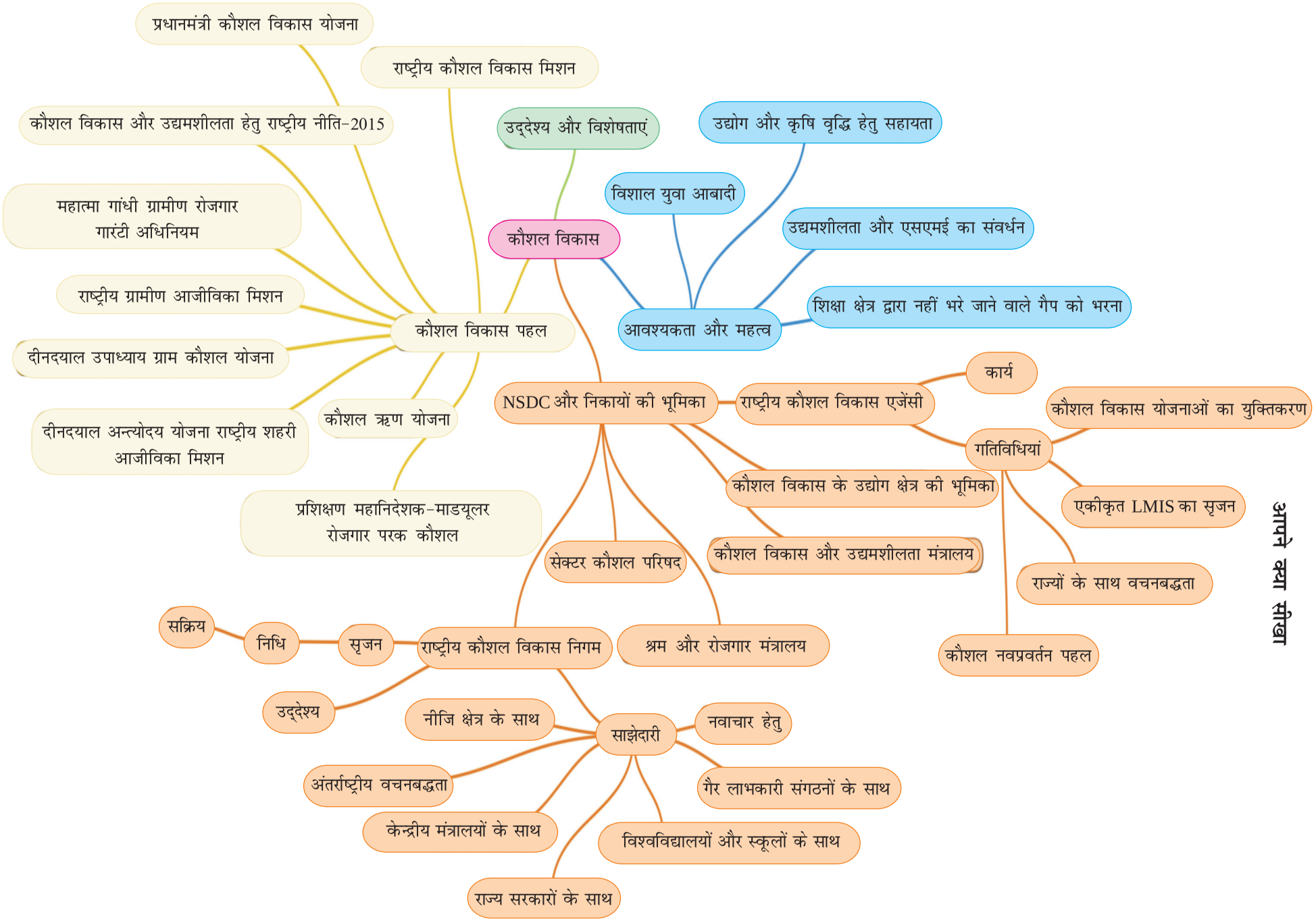
आपने क्या सीखा
कौशल विकास
उद्देश्य और विशेषताएं
उद्योग और कृषि वृद्धि हेतु सहायता
विशाल युवा आबादी
उद्यमशीलता और एसएमई का संवर्धन
आवश्यकता और महत्व
शिक्षा क्षेत्र द्वारा नहीं भरे जाने वाले गैप को भरना
कौशल विकास पहल
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन
कौशल विकास और उद्यमशीलता हेतु राष्ट्रीय नीति-2015
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना
दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
कौशल ऋण योजना
प्रशिक्षण महानिदेशक-माडयूलर रोजगार परक कौशल
NSDC और निकायों की भूमिका
राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी
कार्य
गतिविधियां
कौशल विकास योजनाओं का युक्तिकरण
एकीकृत LMIS का सृजन
राज्यों के साथ वचनबद्धता
कौशल नवप्रवर्तन पहल
कौशल विकास के उद्योग क्षेत्र की भूमिका
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
सेक्टर कौशल परिषद
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
सृजन
निधि
सक्रिय
उद्देश्य
साझेदारी
नीजि क्षेत्र के साथ
नवाचार हेतु
गैर लाभकारी संगठनों के साथ
विश्वविद्यालयों और स्कूलों के साथ
केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ
अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता
राज्य सरकारों के साथ